Naya Raipur, the 13th October 2017

NOTIFICATION
No. 33/2017-State Tax (Rate)

No. F-10- 82 /2017/CT/V (148). — In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government on the recommendations of the Council hereby makes the following further amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, No. 13/2017-State Tax (Rate) notification No. F-10-43/2017/CT/V (81), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(i) in the Table, after serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"10	Supply of services by the members of Overseeing Committee to Reserve Bank of India	Members of Overseeing Committee constituted by the Reserve Bank of India	Reserve Bank of India.".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2017
आदेश 01/2017- राज्य कर

क्रमांक एफ-10-82/2017/वाक/पांच(149). — जहाँ कि छत्तीसगढ़ माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 7), एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है, के प्रावधानों को लागू करने में कठिनाई आई है, जहां तक की इसका संबंध उक्त अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों से है;

अतः अब छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 172 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, परिषद की सिफारिश पर, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देती है, यथा

1. इस आदेश को छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2017 कहा जाएगा।

2. कठिनाइयों के निवारण के लिए,-

(i) एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी माल और/या छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के पैराग्राफ 6 के उप-वाक्य (ख) में संदर्भित सेवाओं की आपूर्ति करता है और ऐसी कोई छूट प्राप्त सेवाओं की भी आपूर्ति करता है, जिनमें वे सेवाएं भी आती हैं जोकि जमा, श्रण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती हैं, जहां तक ब्याज या छूट (डिस्काउंट) के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कम्पोजिसन स्कीम का तब तक अपात्र नहीं होगा जब तक की इसमें विनिर्दिष्ट अन्य सभी शर्तें पूरी न होती हों।